

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक **21 JUL 2016**

क्रमांक एफ-1-63/2016/सात-4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक/सहायक अधीक्षक /अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को प्रशासनिक/स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शित कालम-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:-

स. क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	नवीन पदस्थापना स्थान	प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री एम.आर. नेवारे, कार्यालय अधीक्षक	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, बिलासपुर	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, रायपुर	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री कृष्ण कुमार देवांगन, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, सरगुजा	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला रायपुर	स्वयं के व्यय
3.	श्री आदित्य कुंजाम, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायपुर	कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा कबीरधाम	प्रशासनिक
4.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, बिलासपुर	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, कोण्डागांव	प्रशासनिक ,
5.	श्री जगदीश प्रसाद साहू, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	कार्यालय राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला बिलासपुर	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, मुंगेली	स्वयं के व्यय पर



— 2 —

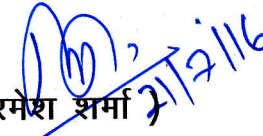
6.	श्री शशि शेखर मिश्रा, सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख	कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, जगदलपुर, जिला बस्तर	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, सरगुजा	स्वयं के व्यय पर
7.	श्री ताराप्रसाद तिवारी, सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, बलौदाबाजार- भाटापारा	कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, दुर्ग	स्वयं के व्यय
8.	श्री मनीराम साहू, कार्यालय सहायक अधीक्षक	तहसील कार्यालय बेमेतरा जिला बेमेतरा	जिला बलौदाबाजार- भाटापारा	प्रशासनिक

2/ उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि पदस्थापना जिला पर आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3/- उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापनास्थल/जिला में पदस्थ हों/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित हों तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश शून्य माना जावे !

4/- संबंधित कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित जिले के लिए तत्काल कार्यभार से मुक्त करें तथा भारमुक्ति आदेश की प्रति इस विभाग को फैंक्स क्रमांक 0771-2510122 या 0771-2510326 अथवा 0771-2221972 एवं ईमेल आई.डी. revenue.cg@nic.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(रमेश शर्मा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 21 JUL 2016

पृष्ठां. क्रमांक एफ-1-63/2016/सात-4,
प्रतिलिपि:-

- माननीय मंत्री जी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सहायक
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
- आयुक्त, भू-अभिलेख, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
5. कलेक्टर, जिला—
बिलासपुर / रायपुर / बस्तर / बलौदाबाजार—भाटापारा / बेमेतरा / कबीरधाम / कोंडगांव / मुंगेली /
सरगुजा / दुर्ग छत्तीसगढ़
6. जिला कोषालय अधिकारी
बिलासपुर / रायपुर / बस्तर / बलौदाबाजार—भाटापारा / बेमेतरा / कबीरधाम / कोंडगांव / मुंगेली /
सरगुजा / दुर्ग छत्तीसगढ़
7. संबंधित श्री.....
8. राजस्व विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित—
9. आदेश फोल्डर

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग